भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
22.03.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3579 का उत्तर

स्टेशन विकास परियोजना

3579. श्री जी.एम. सिद्धेश्वरः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्टेशन विकास परियोजना के अंतर्गत अब तक किए गए कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) सरकार ने भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) को बंद करने का निर्णय किन कारणों से लिया है; और
(ग) सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों, विशेषकर कर्नाटक में पुनर्विकास के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

स्टेशन विकास परियोजना के संबंध में दिनांक 22.03.2023 को लोक सभा में श्री जी.एम. सिद्धेश्वर द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3579 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): रेलवे स्टेशनों का उन्नयन/आधुनिकीकरण करना निरंतर एवं सतत् प्रक्रिया है। अब तक तीन स्टेशनों यथा मध्य प्रदेश राज्य में रानी कमलापति, गुजरात राज्य में गांधीनगर और कर्णाटक राज्य में सर एम. विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास/आधुनिकीकरण किया गया है।

इन तीन स्टेशनों से प्राप्त अनुभव के आधार पर, भारतीय रेलों पर स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत विकास के लिए 1275 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है जिनमें से 53 स्टेशन कर्नाटक राज्य में हैं। इस योजना में दीर्घावधि दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। इसमें स्टेशनों पर प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं जैसे स्टेशनों तक पहुंच में सुधार लाना, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालयों, शौचालयों, आवश्यकता अनुसार लिफ्टों/स्वचालित सीढ़ियों, स्वच्छता, निशुल्क वाई-फाई, एक स्टेशन एक उत्पाद जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणालियों, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यापारिक बैठकों के लिए नामांकित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और इन्हें विभिन्न चरणों में कार्यान्वि०तकरना शामिल हैं।

इस योजना में चरणबद्ध योजना व व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन इमारत में सुधार, शहर के दोनों छोरों के साथ स्टेशन को एकीकृत करने, मल्टीमॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, स्थायी और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों का प्रावधान आवश्यकता के अनुसार रूफ प्लाज़ा और लंबी अवधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर की और निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) नामक एक विशेष प्रायोज्य परियोजना को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 12 अप्रैल, 2012 को शामिल किया गया था। स्टेशन विकास/पुनर्विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आईआरएसडीसी और आरएलडीए दोनों द्वारा की गई गतिविधियां समान थीं। अतः आवश्यकता महसूस की गई कि दो

निकायों में से एक को एकमात्र कार्यशील इकाई के रूप में चिन्हित किया जाए और उसे पूरी जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि आईआरएसडीसी को बंद कर दिया जाए और वर्तमान में आईआरएसडीसी को सौंपे गए कार्यों को रेल अधिनियम, 1989 के तहत एक सांविधिक प्राधिकरण होने के नाते आरएलडीए को और क्षेत्रीय रेलवे को हस्तांतरित किया जाए।

*****